अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, रामगढ़।

भू–वापसी अपीलवाद संख्या–09/2012-13

वादी–आशिक अंसारी वगै0 बनाम प्रतिवादी–शिवशंकर बेदिया एवं राज्य

21/01/2020 अभिलेख आदेशार्थ उपस्थापित।

प्रस्तुत अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा भू–वापसी वाद सं0–21/2007–08 में पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में दायर किया गया है। जिसे अंगीकृत कर संबंधित पक्षों को नोटिस देकर इसकी सुनवाई प्रारम्भ की गई।

वादी के विज्ञ अभिवक्ता ने अपने बयान एवं लिखित अभिकथन में बताया है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसंगत नहीं है। प्रतिवादी प्रश्नगत् भूमि का अधिभोगी रैयत नहीं है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46-4(A) के तहत वाद दायर करने के लिए बेदखली की अवधि 12 वर्ष से अधिक न हो, आवेदक अधिभोगी रैयत हो। प्रतिवादी का यह दावा सही है कि ग्राम–पीरी का खाता नं0–02 सर्वे खतियान में बलकु बेदिया के नाम से दर्ज था। बलकु बेदिया अपने पीछे दो पुत्र 1. गन्दौरी बेदिया 2. गोविन्द बेदिया को छोड़कर मरे। गन्दौरी बेदिया भी अपने पीछे एकमात्र पुत्र कन्टुवा उर्फ कान्दु बेदिया को छोड़कर मरे, जो अपने पीछे रामदेव बेदिया एवं लालदेव बेदिया को छोड़कर मरे तथा विपक्षी शिवशंकर बेदिया लालदेव बेदिया का पुत्र है। इसी प्रकार गोविन्द बेदिया अपने पीछे अपनी पत्नी फेकनी देवी एवं अपने छोटे–छोटे पुत्रों किशुन बेदिया, चरकु बेदिया एवं हरिलाल बेदिया को छोड़कर मरे। प्रतिवादी काशीनाथ बेदिया किशुन बेदिया के वारिशान है। इनका कहना है कि मौजा पीरी, थाना पतरातु के अंतर्गत खाता नं0–02, प्लॉट नं0–286, रकवा–0.59 एकड़ भूमि को खतियानी रैयत के वारिशान कन्दुवा बेदिया एवं मो0 फेकनी, पति– स्व0 गोविन्द बेदिया के द्वारा समुचित सलामी लेकर दिनांक–10.02.1940 को विपक्षीगण के पिता शेख सहबुल, पिता–शेख रहीम मियां, ग्राम–पीरी, थाना–पतरातु, जिला–हजारीबाग, वर्त्तमान–जिला रामगढ़ के नाम से बन्दोबस्ती कर दिया एवं दखल–कब्जा दे दिया। तदोपरान्त बन्दोबस्तीधारी रैयत ने जमींदारी उन्मूलन के पूर्व जमींदार को तथा जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् राज्य सरकार को वर्ष–1959–60 से वर्ष–2003–04 तक लगातार लगान का भुगतान किया। झारखण्ड उच्च न्यायालय वाद सं0 JLJR 2007(3) Page No. 309 द्वारा लगान रसीद को मजबूत साक्ष्य माना है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 16–19 के अध्याय IV में अधिभोग रैयत एवं बंदोबस्ती रैयत में स्पष्ट भिन्नता की गई है। अगर बेदखली की अवधि वर्ष–1940 से गिनती की जाय, तो बेदखली की अवधि 12 वर्ष से अधिक होती है। अतएव यह वाद कालबाधित है। वादी जाति के बेदिया हैं, जो वर्ष 1940 ई0 में अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत नहीं थे। अतः वादी को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46-4(A) के

तहत् भू–वापसी का आवेदन दायर करने का अधिकार नहीं है। पुनः इनका कहना है कि प्रतिवादी Occupancy Raiyat नहीं हैं। अतः वे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46-4(A) के तहत् कोई भी आवेदन दायर करने हेतु प्राधिकृत नहीं है। इनका आगे कहना है कि वादी के दादा आजीवन प्रश्नगत भूमि पर शान्तिपूर्ण दखलकार रहते हुए जमींदारी उन्मूलन के पूर्व जमींदार को सलामी का भुगतान किया। वादी प्रश्नगत भूमि पर बन्दोबस्ती के द्वारा प्राप्तकर वर्ष–1940 से दखलकार है। अतः यहाँ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 4(A) लागू नहीं होता है। इन्होंने प्रतिवादी के दावे को खारिज करने का अनुरोध किया है।

प्रतिवादी की ओर से सरकारी अधिवक्ता द्वारा प्रश्नगत भूमि कन्दुवा बेदिया एवं अन्य के द्वारा वर्ष–1940 में उचित सलामी लेकर विक्रय किये जाने पर प्रश्न खड़ा करते हुये बताया गया कि जब भूमि का विक्रय वर्ष–1940 में ही हो गया था तो वर्ष–1959–60 में 20 वर्षों के बाद जमाबन्दी खोले जाने का औचित्य क्या है। इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा षड़यंत्र के तहत् भूमि का जमाबन्दी कायम करवाया गया है। वादी के अपील को खारिज करते हुए भू–वापसी की कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

निम्न न्यायालय अभिलेख में अंकित है कि अंचल अधिकारी, पतरातु ने अपने पत्रांक–1352, दिनांक–03.10.2007 के द्वारा प्रेषित जाँच प्रतिवेदन में लिखा है कि मौजा–पीरी, थाना–पतरातु के अंतर्गत खाता नं0–02, प्लॉट नं0–286, रकवा–0.59 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में बलकु बेदिया के नाम से दर्ज है, जो प्रतिवादी के परदादा लगते हैं। वर्त्तमान पंजी ॥ के पेज नं0– 6/॥ में केन्दु महतो वगै0 के नाम से जमाबंदी कायम है, जिसका खाता नं 02, रकवा 36.65 एकड़ है तथा जिसकी सरकारी रसीद वर्ष 2003–04 तक निर्गत है। अंचल अधिकारी द्वारा आगे प्रतिवेदित किया गया है कि वर्त्तमान पंजी ॥ के पेज नं0–7/2 पर खाता नं0–02, प्लॉट नं0–286, रकवा–0.49 एकड़ भूमि की जमाबंदी शेख सहदुल मियां के नाम से दर्ज है तथा सरकारी रसीद वर्ष–2004–05 तक निर्गत है। वादी के द्वारा समर्पित सादा हुकुमनामा से उक्त प्लॉट का रकवा–0.59 एकड़ दर्ज है। भूमि टांड़ परती है। अंचल अधिकारी, पतरातू द्वारा खतियानी वारिशान को भूमि वापस करने हेतु अनुशंसा की गई है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं अंचल अधिकारी, पतरातु से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि मौजा–पीरी, थाना–पतरातु के अंतर्गत खाता नं0–02, प्लॉट नं0–286, रकवा–0.59 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में बलकु बेदिया के नाम से दर्ज है, यानि भूमि आदिवासी खाते की है। खतियानी रैयत वादी के परदादा लगते हैं। अंचल अधिकारी, पतरातु से प्राप्त जांच प्रतिवेदनानुसार वर्त्तमान पंजी–॥ के पेज नं0–6/॥ में केन्दु महतो वगै0 के नाम से जमाबंदी कायम है, जिसका

खाता नं0– 02, रकवा– 36.65 एकड़ है तथा जिसकी सरकारी रसीद वर्ष– 2003–04 तक निर्गत है। पुनः वर्त्तमान पंजी ॥ के पेज नं0–7/2 पर खाता नं0–02, प्लॉट नं0–286, रकवा–0.49 एकड़ भूमि की जमाबंदी शेख सहदुल मियां के नाम से दर्ज है, जिसकी सरकारी रसीद वर्ष–2004–05 तक निर्गत है। प्रतिवादी के द्वारा मौजा–पीरी, थाना– पतरातु के अंतर्गत खाता नं0–02, प्लॉट नं0–286, रकवा–0.59 एकड़ भूमि खतियानी रैयत के वारिशान कन्दुवा बेदिया एवं मो0 फेकनी, पति– स्व0– गोविन्द बेदिया से दिनांक–10.12.1940 को शेख सहदुल, पिता–शेख रहीम मियां, ग्राम–पीरी, थाना–पतरातु, जिला– हजारीबाग वर्त्तमान जिला– रामगढ़ को सादा हुकुमनामा के द्वारा बन्दोबस्ती में प्राप्त होने का दावा किया गया है। वादी सादा हुकुमनामा के आधार पर प्रश्नगत् भूमि पर दावा करते हैं, जिसको कानूनन वैध दस्तावेज नहीं माना जा सकता है। प्रश्नगत् भूमि की प्रविष्टि पंजी–॥ में वादी के पिता के नाम से किस पदाधिकारी के आदेश से किस आधार पर की गई, स्पष्ट नहीं है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी फर्जी कागजात के आधार पर आदिवासी भूमि को हड़पने के उद्देश्य से इस प्रकार का हथकंडा का प्रयोग कर रहे हैं। वादी के द्वारा बिना किसी वैध कागजात के विपक्षी को प्रश्नगत भूमि से बेदखल करना छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46 4(A) का स्पष्ट उल्लंघन है।

वर्णित तथ्यों के विवेचन, निम्न न्यायालय के आदेश, विज्ञ अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत लिखित अभिकथन का अनुशीलन से स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे प्रमाणित हो सके कि आदिवासी रैयत की भूमि को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–46(4-A) के प्रावधानों के अनुसार वर्णित भूमि क्रय किया गया है। ऐसी परिस्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। वादी के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है।

लेखापित एंव संशोधित।

21/01/2020

अपर समाहर्त्ता,
रामगढ़।

21/01/2020

अपर समाहर्त्ता,
रामगढ़।